धारा 169 : कतिपय परिस्थितियों में नोटिस तामील करना

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना की निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी, जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी वयस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा;

(ख) व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय–समय पर संशोधित उसके ई–मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा;

(ङ.) ऐसे अवस्थान जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, अंतिम ज्ञात रूप में निवास करता था, कारबार करता था या वैयक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचार पत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा;

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग साध्य नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी साध्य नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकरण जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया था या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से उसकी एक प्रति वहां चिपकाई गई।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, उसके अनुसार उसे प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।